

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 67/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेश कुमार दास वो अंचल निरीक्षक श्री गोबिंद दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पुष्पा थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 24/21 दाग नं0 32/1/2 रकबा 0.6 एबड किस्म जारी करीम श्री संजय कुमार साह पिता श्री ३२६ साह साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री संजय कुमार साह को दिनांक 29/5/17 समय 11:00 AM पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

अंचल अधिकारी,  
महागामा।

2 अभिलेख उपस्थापित। नोटिफा साह। पीओ हस्ताक्षर के साथ अनुसंधान द्वारा नोटिफा में प्रमाणित किया है कि संजय कुमार साह पिता श्री ३२६ साह दाग नं0 32/1/2 रकबा 0.6 एबड किस्म जारी करीम को अंचल निरीक्षक से स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन की मांग करें।

14/6/19

અનિલેક્ષ ઉપલ્લાષિત ।  
નોટિસ નિર્ગત કરે ।

અંચલ અધિકારી  
મહાગામી ।

8/7/19

અનિલેક્ષ ઉપલ્લાષિત ।  
નોટિસ નિર્ગત કરાવ્યું । અનિલેક્ષ 22.7.19 નો છે ।

અંચલ અધિકારી  
મહાગામી

22.7.19

અનિલેક્ષ ઉપલ્લાષિત ।  
વિપક્ષી અનુપલ્લાષિત । અનિલેક્ષ ફિગ્ન કો રહેવું ।

અંચલ અધિકારી  
મહાગામી ।

31/7/2020

અનિલેક્ષ ઉપલ્લાષિત ।  
નોટિસ નિર્ગત કરે ।

અંચલ અધિકારી  
મહાગામી

11.8.2025

અનિલેક્ષ ઉપલ્લાષિત ।  
નુ. નોટિસ નિર્ગત કરે ।

11.8.2025  
અંચલ અધિકારી  
મહાગામી



संदिग्ध/अवैध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला

चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अधिसूचना का नाम - डिंडीगा - महागागा, जिला - गोड्डा
2. (क) अवैध जमाबंदीदार का नाम - श्री राजेश कुमार साहू पद उपनिवेश साहू
- (ख) अवैध जमाबंदी का भूमि की विवरणी -

मौजा	खता नं०	खाता नं०	खसरा नं०	एकता	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7

बसुआ 692 29/12 33/112 0.6 हे० जे०रागागा पत्नी वहीम

3. भूमि का वर्तमान उपयोग पत्नी
4. अवैध जमाबंदी पंजी-11 में कब से संघारित है ? (अंकित नही)
5. उक्त जमाबंदी पंजी-11 में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पद में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कमी का नाम अंचल कार्यालय में संघारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उचित कर दें)
6. नामान्तरण/पदांतरण - खारिज के उपरान्त संघारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैगट की विवरणी लाना नही
7. अवैध जमाबंदी प्रमाण किये जाने का आधार
  - (i) अतिरिक्त, सादा हुकुमनामा
  - (ii) जमाबंदी निर्धारण तथा उसका वर्ष (माद संख्या एवं पारित आदेशानुसार)
  - (iii) जमाबंदी भू-बंदोबस्ती (माद संख्या के साथ) भूदान सहित वंदोपत्ती
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) लाना नही
9. अवैध जमाबंदी का जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई - पंजी-11
  - (i) भूदान जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से
  - (ii) अंचल/अनुमंडल में संघारित बंदोबस्ती पंजी से
  - (iii) राजस्व - खारिज/ भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से
10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है नही
- (ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है नही
11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदे लगातार निर्गत ? नही
12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड- बुझास्त पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? नही
13. राजस्व कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित महाप्रभ, प्रमुख जमापु संनिष्ठ

साह पर उपरोक्त साह का वंदोपत्ती की गिरी से निम्नलिखित दस्तावेज लाने नही हैं  
वर्तमान में उस भूमि खाली पड़ा हुआ पत्नी हैं  
व (क) के तहत वंदोपत्ती कर लेनी जमाबंदी की जा सकती है

14. अंचल निरीक्षक के स्थानीय जमानेगत मतदाता सहित स्पष्ट प्रतिवेदन  
जमाना, 20 वर्ष के प्रतिवेदन से सफाई  
वन्दोपत्ती रवाना हो रहे कर  
अनुमंडल की जा सकती है

अंचल अधिकारी  
महागागा।

भूमि सुधार उप समारोह,  
गोड्डा।

अनुमंडल पदा०,  
महागागा।

अपर समारोह,  
गोड्डा।

उपायुक्त,  
गोड्डा।

## संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री सुनील कुमार सिंह पति उमेश प्रसाद
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-  

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट न०	क्षेत्रफल	निका
<u>बसुंधा</u>	<u>692</u>	<u>29/ग</u>	<u>37/112</u>	<u>0.6 एकर</u>	<u>रसीद-फडीम</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं० ..... पर कायम है
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है -
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम श्री सुनील कुमार सिंह
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है पंजी-नं० अंकित नहीं
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम न्याय नहीं
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - बंदोबस्ती)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (मूलपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी-11
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	1843788	20-7-04	2004-05
02	1712449	5-9-13	13-14

Chin Dr. C. 14826

14.8.2023